कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालयः मंगला देवी मंदिर मार्ग
मंगलूर – 575 001
दक्षिण कन्नड जिला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 56 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की पंद्रहवीं वार्षिक महासभा **शुक्रवार, 29 जून, 2012 को पूर्वाह्न 10.30 बजे,** सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूर - 575 001 में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया जाएगाः

मद सं. 1: बैंक के 31 मार्च, 2012 के तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए बैंक के कार्य-निष्पादन तथा क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श, अनुमोदन तथा स्वीकार करना ।

मद सं. 2: वित्तीय वर्ष 2011-2012 हेतु ईक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 22.05.2012

नोट

1. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**
 जिस शेयरधारक को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

 तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

 प्रॉक्सी के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कार्पोरेशन बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।

 विनियम 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देनेवाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।

 प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने हेतु यह बैठक प्रारंभ होने से **कम-से-कम चार दिन पहले** अर्थात् **शनिवार, 23 जून 2012 को** कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् **अपराह्न 1.30 बजे** तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर-575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**
 बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय का विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, वार्षिक महासभा में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्यप्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से **कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 23 जून, 2012 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 1.30 बजे तक** या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूर - 575 001, कर्नाटक को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

3. **संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग**
 यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में है, तब केवल पहले नामित

CORPORATION BANK
HEAD OFFICE : MANGALA DEVI TEMPLE ROAD
MANGALORE – 575 001
D.K. DISTRICT, KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the Fifteenth Annual General Meeting of the Shareholders of CORPORATION BANK will be held on **Friday, 29th June 2012, at 10.30 a.m.** at Millennium Building, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangalore – 575 001, KARNATAKA State to transact the following business:

Item No. 1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2012, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2012, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2: To declare Dividend on Equity Shares for the Financial Year 2011-2012.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

Place : Mangalore
Date : 22.05.2012

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Corporation Bank.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Mangala Devi Temple Road, Mangalore – 575 001, Karnataka State, **not later than FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours i.e. **1.30 p.m. of Saturday, the 23rd June, 2012.**

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, H.O., Mangalore–575 001 Karnataka State, not later than **FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours i.e. 1.30 p.m. of Saturday, the 23rd June, 2012.**

3. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

If shares are in the names of joint holders, then first

व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा और वह ही बैठक में वोट डालने (मतदान या हस्त प्रदर्शन द्वारा) के लिए पात्र होगा।

4. उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ अनुबंधित है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उक्त उपस्थिति पत्रक बैठक स्थान पर सौंप दें। **शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र में यथास्थिति 'प्रॉक्सी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि',** जैसा भी मामला हो, **उल्लिखित करें।**

5. सदस्यों के रजिस्टर की बंदी

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 12 के अनुसरण में बैंक के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियाँ, मंगलवार, 19 जून, 2012 से शुक्रवार, 29 जून, 2012 (दोनों दिनों सहित) पंद्रहवीं वार्षिक महासभा के संबंध में तथा निम्नलिखित हेतु पात्र शेयरधारकों के नाम निर्धारित करने तथा लाभांश, यदि कोई हो, को प्राप्त करने के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

6. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल ने **4 मई, 2012** को आयोजित अपनी बैठक में ₹10/– के प्रत्येक शेयर हेतु **₹20.50** का लाभांश संस्तुत किया है जिसे इस वार्षिक महासभा में शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाना है। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि प्रत्येक ₹10.00 के शेयर हेतु ₹20.50 अर्थात् 205 % का लाभांश घोषित करें।

यदि वार्षिक महासभा में लाभांश की घोषणा की जाती है तो उसे **12 जुलाई, 2012** को या उसके बाद तथा इस घोषणा से 30 दिन के भीतर, उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा यथा प्रस्तुत बैंक के सदस्य/ हितकारी स्वामी रजिस्टर में 18 जून, 2012 को मौजूद हैं।

7. लाभांश वारंट/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) – (एनईसीएस) में बैंक खाते के विवरण

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने बैंकों सहित सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश वितरण तथा उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) का प्रयोग करते समय शेयरधारकों द्वारा दिए गए बैंक खाता विवरण लाभांश वारंट में उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। कुछ केन्द्रों में ईसीएस सुविधा के अभाव तथा कुछ शेयरधारकों के ऐसी सुविधा प्राप्त न करने की स्थिति में बैंक अपने पास उपलब्ध बैंक विवरण लाभांश वारंट में मुद्रित करेगा।

जिन शेयरधारकों के पास कागज़ी रूप में शेयर हैं, वे अभिलेखों को आवश्यक अद्यतन करने हेतु बैंक अधिदेश विवरण, बैंक के निवेशक सेवा विभाग को या हमारे शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के पास भेज सकते हैं। जिन शेयरधारकों के पास डीमैट रूप में शेयर हैं वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट से सम्पर्क कर सकते हैं। ईसीएस अधिदेश/बैंक अधिदेश का प्रोफार्मा वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

8. अदावी लाभांश यदि कोई है

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया है/अगर पूर्व अवधि के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं तो डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने हेतु बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से सम्पर्क करें। इस सम्बंध में बैंक समय–समय पर बैंक के लाभांश रजिस्टर के अनुसार संबंधित शेयरधारकों को अनुस्मारक भी भेज रहा है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10बी के अनुसार सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावी लाभांश की राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित की जानी चाहिए तथा उसके पश्चात इससे संबंधित भुगतान का दावा बैंक या आईईपीएफ से नहीं किया जा सकेगा।

9. शेयरधारकों से निवेदन

क) तुलन–पत्र की प्रतियां

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक महासभा के समय वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी, इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर डाक या ई–मेल से भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति या उसके उद्धरण को साथ लेकर आएं।

ख) शेयरों का डीमटीरियलाइजेशन

अपने शेयर प्रमाणपत्र अब भी कागज़ी रूप में धारित करनेवाले शेयरधारकों से अपने शेयरों को डीमैट करवाने का अनुरोध किया जाता है।

ग) पता या ई–मेल आईडी परिवर्तन

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पते में किसी परिवर्तन को निम्नलिखित को तुरंत अधिसूचित करें:

- शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को।
- **कागज़ी रूप में धारित शेयरों के मामले में** शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, यूनिटः कार्पोरेशन बैंक, प्लाट सं. 17–24, विठ्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद – 500 081.
- शेयरधारकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ई–मेल पते को भी बैंक में पंजीकृत या अद्यतन करें

named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

4. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. **Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative"** as the case may be.

5. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

Pursuant to Regulation 12 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Tuesday the 19th June, 2012 to Friday the 29th June, 2012 (both days inclusive) in connection with the Fifteenth Annual General Meeting and for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the Annual General Meeting and to receive the dividend, if any.

6. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors have recommended at their meeting held on **4th May, 2012,** a Dividend of **₹20.50** per share of ₹10/- each which is required to be declared by the shareholders at this AGM. The shareholders are therefore requested to declare the Dividend of ₹20.50 per share of ₹10.00 each, i.e.205%.

The Dividend, if declared at the Annual General Meeting, will be paid on or after **12th July, 2012** and within 30 days of declaration thereof, to those shareholders whose names appear on the Bank's Register of Members/Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL as on 18th June, 2012.

7. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANT/NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT CLEARING) – (NECS)

SEBI has made it mandatory for all the listed companies, including banks, to mention in the Dividend Warrant, the Bank Account details furnished by the shareholders, while distributing Dividends as well as to use the National Electronic Clearing Service (NECS) facility wherever available. In the absence of NECS facility at certain centres and in the event of some shareholders not availing such facility, the Bank shall print the Bank details, as available with them, in the dividend warrants.

The shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details to Investor Services Department of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad, for necessary updation of the records. The shareholders who are holding the shares in demat form, may approach their Depository Participants for necessary action in this connection. A Proforma of NECS Mandate/ Bank Mandate is furnished in the Annual Report.

8. UNCLAIMED DIVIDEND IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/ received Dividend of previous periods if any are requested to contact the Share Transfer Agent for issue of duplicate Dividend Warrant. In this regard Bank is also sending reminder letters from time to time to the concerned shareholders as per Dividend Register of the Bank.

As per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of Dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 205C of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

9. REQUEST TO THE SHAREHOLDERS

(A) Copies of Balance Sheet

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report or extract thereof, which are mailed by the Bank to them at their registered addresses and or e-mail addresses.

(B) Dematerialisation of shares

Shareholders who are still holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialised.

(C) Change of address or e-mail ID

Shareholders are requested to notify any change in their addresses to:

- Their respective Depository Participant in respect of holding of shares in dematerialised form.
- The Share Transfer Agent, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit: Corporation Bank, Plot No. 17 - 24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, HYDERABAD–500 081 **in respect of shares held in physical form.**
- Shareholders are also requested to register/update their e-mail address with the Bank to enable the

ताकि बैंक ई-मेल द्वारा अपना सभी पत्राचार/सूचना/ वार्षिक रिपोर्ट को भेज सकें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड जो बैंक के रजिस्ट्रार है, उसे जल्द से जल्द अपने ई-मेल पता भेजें/अद्यतन करें।

घ) खातों संबंधी सूचना

खातों से संबंधित कोई सूचना/स्पष्टीकरण मांगने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा से कम-से-कम सात दिन पहले कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूर - 575 001, कर्नाटक को लिखें ताकि शुक्रवार 22 जून, 2012 को शाम 5.00 बजे तक प्राप्त हो और बैंक सूचना तैयार रख सके।

ङ) फोलियो का समेकन

जो शेयरधारक शेयर कागज़ी रूप में एक से अधिक फोलियो में एक ही नाम से या नाम के उसी क्रम में संयुक्त नाम से धारित करते हैं, उनसे अनुरोध है कि एक ही फोलियो में समेकन हेतु शेयर प्रमाणपत्रों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड को भेजें।

च) स्थिति में परिवर्तन

अनिवासी भारतीय शेयरधारक बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को कागज़ी रूप में धारित शेयरों के संबंध में या शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इसकी सूचना तुरंत दें:

क) स्थाई निवास के लिए भारत लौटने पर निवासी हैसियत में परिवर्तन।

ख) भारत के बैंक खाते से संबंधित ब्योरे, पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, पिन सहित बैंक का पता दें, यदि पहले नहीं दिया हो।

छ) अन्य सूचना

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार-कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 22.05.2012

Bank to send all communications/notices/Annual Report etc., through e-mail. Shareholders holding shares in demat mode are requested to register/ update their e-mail addresses with their respective Depository Particpants. Shareholders holding physical shares are requested to send/update their e-mail address with M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., the Share Transfer Agent of the Bank, at the earliest.

(D) Information on Accounts

Shareholders seeking any information/clarification with regard to accounts are requested to address their letters to the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, Head Office, Mangalore – 575 001, Karnataka State at least seven days in advance of the Annual General Meeting so as to reach latest by Friday, 22nd June, 2012 by 5.00 p.m., to enable the Bank to keep the information ready.

(E) Consolidation of Folios

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send the share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., for consolidation into a single folio.

(F) Change of Status

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., in respect of shares held in physical form or to inform their respective Depository Participants if shares are held in dematerialised form immediately of:

a) the change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) the particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

(G) Other information

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

Place : Mangalore
Date : 22.05.2012

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY